D.P II (H) IIIrd Paper

Council of the state

(राज्यसभा)

Dr. Punam Kumari
Deptt of Pol. Sc.
S.N.S.R.K.S. college
Saharsa

राज्य सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जिसमें संघवाद के आधार पर भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के राज्यों को राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें अधिक 250 सदस्य होंगे। जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनित होंगे और बाँकी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, किन्तु एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पर रिटायर होते है। भारत के उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते है।

जहाँ तक अधिकारों का प्रश्न है राज्यसभा अमेरिकी सीनेट और England के लार्डसभा के बीच की स्थिति में है।

साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किये जा सकते हैं दोनो सदनों से पारित होने के बाद ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा किसी विधेयक को 6: महीने तक रोक सकता है। इस सम्बन्ध में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इसमें अन्तिम निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। चूँकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगुनी होती है, अतः जीत लोकसभा की ही होती है। अतः संसद में साधारण विधेयक पारित होने की जो प्रक्रिया है, उसमें राज्यसभा की भूमिका नगण्य तो नहीं कही जायेगी पर लोकसभा का ही पलड़ा भारी है।

धन विधेयक के सम्बन्ध में स्पष्टत: लोकसभा का पलड़ा भारी है। क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धनविधेयक पर राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक विचार कर सकता है। इसके बाद राज्यसभा स्वीकार अस्वीकार या संशोधन कर लोकसभा को भेज देता है। लोकसभा जैसा चाहेगा वैसा कानून बनायेगा।

भारतीय संविधान में संघीय मंत्रिमंडल के लोकसभा के प्रति जिम्मेवार ठहराया गया है, न कि राज्यसभा के प्रति। पर राज्यसभा के सदस्यों को भी मंत्री बनाया जा सकता है राज्यसभा के प्रति भले ही मंत्रिमंडल उत्तरदायी न हो फिर भी वह कार्यपालिका, कुछ संसदीय उपकरण के द्वारा यथा 'कामरोको प्रस्ताव' बहस द्वारा प्रभावित कर सकती है।

इन क्षेत्रों के अलावा कई ऐसे अधिकार हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा राज्यसभा के समकक्ष है और कुछ अंश तक कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा ही अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है, उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं यानि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात उठती है तो वहाँ भी राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही अधिकार है। क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से दो तिहाई बहुमत से उसे स्वीकृत किया जाता है। अभी तक इस अधिकार का प्रयोग किसी भी सदन में नहीं किया गया है। इसी प्रकार राज्य सभा संविधान संशोधन करने में भी लोकसभा के बराबर है।

एक प्रश्न उठता है कि अगर संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो क्या होगा? संविधान में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। पर Supreamme court के

शंकरी प्र० बनाम भारत सरकार के मुकदमे में यह फैसला किया था कि संशोधन करना और उसकी प्रक्रिया निश्चित करना सामान्य विधायी प्रक्रिया है। उस और उसे उसी प्रकार दूर किया जा सकता है, जिस प्रकार सामान्य विधेयक में गतिरोध को दूर किया जा सकता है।

संविधान की कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि कुछ मामलों में राज्यसभा ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुसार यदि राज्यसभा सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित तथा मतदान करने वाले दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करे कि राज्य में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ज्ञातव्य है कि संघीय व्यवस्था में राज्यसभा प्रतिनिधि सभा है अतः राज्यसूची में तभी परिवर्तन लाया जा सकता है जब राज्यसभा इसका समर्थन करे।

उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है। उसी प्रकार ~~लोकसभा~~ लोकसभा के विघटित होने की स्थिति में आपात उद्घोषणा का अनुमोदन राज्य सभा द्वारा होता है।
इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जब कोई अभियोग लगाया जाता है तो उसका भी राज्य सभा के दो तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक है।

वास्तव में इसके महत्व को कोई ध्यान देने को तैयार नहीं था, पर ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीति में सत्तारूढ़ और विरोधी दल का टकराव बढ़ती गयी त्यों-त्यों राज्यसभा का महत्व बढ़ता रहा है।
राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों ने उच्च स्तर के

विवाद से इसकी गरिमा और बढ़ गयी है।
राज्य सभा इन सभी सैद्धान्तिक तर्कों को उचित ठहराता है, जो द्वितीय सदन के पक्ष में कहे जाते हैं यदि लोकसभा के समानान्तर सदन के रूप में राज्यसभा का मूल्यांकन किया जाय तो राज्यसभा ने वास्तव में लोकसभा पर इसके उतावलेपन पर उसके अनुचित कार्यों पर लगाम लगा रखा है। अतः यह कहना कि राज्यसभा निष्क्रिय सदन है, गलत होगा।

—— X ——